

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 23280 / 5193

दिनांक :- 14.2.2020.

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती / सुश्री अनिता कटेवा [लिंक न . 23280] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (ग्रामीण), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर - [1109] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 03/02/2020 से 20/02/2020 तक 18 दिवस

कुल 18 दिवस

उक्त कुल 18 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती / सुश्री अनिता कटेवा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 23280 / 5193

दिनांक : 14.2.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी (ग्रामीण), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री/श्रीमती / सुश्री अनिता कटेवा [23280] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (ग्रामीण), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)